भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 25*

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि

***25. श्री नंदकुमार सिंह चौहान :**

श्री रघु राम कृष्ण राजू :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ, मानदंड तथा शर्तों सहित उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा किसानों को कितनी ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं तथा ऋण प्रदान करने हेतु नियम, शर्तें और तौर-तरीके क्या हैं;

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि के आधुनिकीकरण से किसानों को कितना लाभ हुआ है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में दिनांक 19.11.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 25 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : सरकार ने **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)** नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को आरंभ किया है जिसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु पूरे देश के भूमिधारक किसान परिवारों की आय को बढ़ाना है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे प्रति वर्ष 6000/- रुपए की राशि जो 2000/- रुपए की तीन चतुर्मासिक किस्तों में अंतरित की जाती हैं। इस स्कीम के तहत उच्च आय वाले निष्कासन मानदण्ड के भीतर आने वाले किसान लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं:

क. सभी संस्थागत जोतधारक; और

ख. किसान परिवार जिनके 1 अथवा अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों के हों:

i) भूतपूर्व और वर्तमान संवैधानिक पदधारक

ii) भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा भूतपूर्व/वर्तमान लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषद के सदस्य, नगर निगमों के भूतपूर्व और वर्तमान मेयर, भूतपूर्व और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष

iii) केन्द्रीय/राज्य सरकार मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी फील्ड इकाईयों, केन्द्रीय अथवा राज्य पीएसई और सरकार के अंतर्गत संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।
(मल्टीटॉस्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह घ कर्मचारियों को छोड़कर)

iv) उपर्युक्त श्रेणी 2.4.1 (ग) के सभी पैंशनधारक/सेवानिवृत्त/पैंशनधारक (मल्टीटॉस्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह घ कर्मचारियों को छोड़कर) जिनकी मासिक पैंशन 10000 रू0 अथवा अधिक है।

v) सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आंकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है।

vi) डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउन्टेंट जैसे व्यवसायिक और व्यवसायिक निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट और प्रैक्टिस करने वाले व्यवसायिक।

यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी है। लाभार्थियों की पात्रता के बारे में पहचान की अंतिम तारीख 01.02.2019 है लाभार्थियों के पहचान की समग्र जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

इस योजना के लिए एक विशेष वेब पोर्टल www.pmkishan.gov.in प्रारंभ किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा तैयार करके पीएम-किसान वेब पोर्टल में अपलोड किए गए किसानों के डेटा के आधार पर लाभार्थियों को वित्तीय लाभ जारी किया जाता है। नामांकन के लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करने की आवश्यकता होती है। इस योजना हेतु शुल्कों के भुगतान पर किसानों का पंजीकरण करने हेतु सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएसी) को भी अधिकार प्रदान किया गया है। किसान, पोर्टल में किसान कार्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण स्वयं भी कर सकते हैं। किसान, अपने आधार डेटा बेस/कार्ड के अनुसार पीएम-किसान डेटा बेस में अपने नाम को स्वयं संशोधित भी कर सकते हैं और पोर्टल में किसान कार्नर के माध्यम से अपने भुगतान की स्थिति को भी जान सकते हैं।

(ख) : ब्याज छूट योजना (आईएसएस) के अंतर्गत किसान एक वर्ष के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपए तक अल्पावधि फसल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को त्वरित और समय से ऋण की अदायगी करने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। आईएसएस का लाभ मौजूदा केसीसी धारकों के लिए 3.00 लाख रुपए की समग्र सीमा के भीतर 2.00 लाख रुपए तक पशुपालन और मात्स्यिकी जैसी संबद्ध क्रियाकलापों में भी किसानों को दिया जाता है और 2.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की ऋण प्राप्त करने के लिए आईएसएंडपीआरआई के लाभ के प्रावधान के साथ पशुपालन और मात्स्यिकी किसानों के लिए नए केसीसी जारी किए जाते हैं। पुनर्गठित फसल ऋणों पर 2 प्रतिशत की ब्याज छूट और 3 प्रतिशत का शीघ्र पुनभुर्गतान प्रोत्साहन, 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को भी दिया जाता है। अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय टीम (आईएमसीटी) और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) की रिपोर्ट के आधार पर एनडीआरएफ सहायता की मंजूरी की जाती है।

लघु-अवधि फसल ऋणों के लिए पात्रता: किसान जो स्वयं खेती के मालिक हैं-व्यक्तिगत/संयुक्त ऋण लेने वाले दोनों, काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार और बंटाईदार, काश्तकार किसान, बंटाईदार आदि सहित किसानों के स्व-सहायता समूह अथवा संयुक्त देयता समूह 3 लाख रूपए तक के लघु अवधि फसल ऋणों के लिए पात्र हैं। लघु अवधि की सीमा का निर्धारण जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार फसलों के लिए वित्त के पैमाने को ध्यान में रख कर किया जाता है जिसे फसलोपरांत/घरेलू/खपत संबंधी आवश्यकताओं के लिए+10 प्रतिशत की सीमा सहित खेती किए गए क्षेत्र की सीमा+मरम्मत तथा फार्म परिसंपत्तियों के रख-रखाव के खर्च+20 प्रतिशत की सीमा+ स्वास्थ्य बीमा तथा संपत्ति बीमा सहित फसल बीमा और अथवा दुर्घटना बीमा से गुणा किया जाता है दूसरे और इसके बाद वर्ष के लिए सीमा का निर्धारण प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए वित्त के पैमाने में लागत वृद्धि/बढ़त तथा केसीसी की अवधि अर्थात 5 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत सीमा सहित खेती की गई फसल के पहले वर्ष को ध्यान में रखकर किया जाता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलों की खेती करने के लिए ऋण की सीमा निर्धारित है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है तथा ऋण की सीमा पहले वर्ष की प्रस्तावित

फसल पद्धति के साथ-साथ प्रत्येक आगामी वर्ष के वित्त के पैमाने में संबंधित फसलों के लिए लागत वृद्धि/बढ़त की अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीमा पर निर्भर करती है।

(ग) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान देश में चावल, गेहूं, दलहन और पोषक-सह-मोटे अनाज का बंपर उत्पादन हुआ है, जो क्रमश: 112.76 मिलियन टन, 99.87 मिलियन टन, 25.41 मिलियन टन और 46.97 मिलियन टन है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 285.01 मिलियन टन है। चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान चावल, गेहूं, दलहन और पोषक-सह-मोटे अनाज का उत्पादन क्रमश: 116.42 मिलियन टन, 102.19 मिलियन टन, 23.40 मिलियन टन और 42.95 मिलियन टन है और वर्ष 2018-19 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 284.95 मिलियन टन हुआ था।

(घ) : विभिन्न आधुनिक प्रौद्योगिकीय पहलों तथा कार्यक्रमों ने देश में कृषि और किसानों को बहुत अधिक लाभ पहुंचाया है जिनमें से कुछ का वर्णन नीचे दिया गया है:-

i. किसानों की कृषि संबंधी सूचना तक समय पर पहुंच बनाने के लिए सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भारत में शीघ्र विकास हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपीए) की शुरूआत की गई।

ii. महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे-मौसम; मंडी मूल्य; पौध-संरक्षण; आदान विक्रेता (बीज, कीटनाशक, उर्वरक), फार्म मशीनरी; मृदा स्वास्थ्य कार्ड; शीतागार और गोदाम, पशु चिकित्सा केंद्र और रोग परीक्षण प्रयोगशालाओं के संबंध में किसानों तक सूचना के प्रसार की सुविधा हेतु किसान सुविधा मोबाइल एप्लिकेशन का विकास किया गया है। मंडी सूचना से किसानों को उत्पाद की बिक्री के लिए बेहतर मूल्यों, प्रचलित मंडी मूल्य और मंडी में मांग के बारे में पता चलता है। इस प्रकार वे सही मूल्य और सही समय पर उत्पाद बेचने के लिए निर्णय हैं।

iii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने फसल, बागवानी, पशु चिकित्सा, डेयरी, कुक्कुटपालन, मछली पालन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और एकीकृत विषयों के क्षेत्रों में आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विकसित 100 से अधिक मोबाइल एप्लिकेशन संकलित किए हैं जो अभ्यासों के पैकेज, विभिन्न जिंसों के मंडी मूल्यों, मौसम संबंधी सूचना, परामर्शी सेवाओं, सहित किसानों को बहुमूल्य सचूना देते हैं।

iv. एसएमएस के जरिए पंजीकृत किसानों को विभिन्न फसलों से संबंधित मामलों पर परामर्श देने के लिए एम-किसान पोर्टल (www.mkisan.gov.in) का विकास किया गया है।

v. प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बोली प्रणाली के जरिए किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य की सुविधा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई-एनएएम) की शुरूआत की गई है।

vi. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक का कार्यान्वयन जो सुव्यवस्थित/सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल के कुशल उपयोग पर केन्द्रित है। सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी न केवल जल बचत में मदद करती है बल्कि उर्वरक के उपयोग, श्रम संबंधी खर्चों, सतत मृदा स्वास्थ्य के अलावा अन्य आदान लागतों को कम करने में भी मदद करती है।

vii. कृषि उपज, प्रसंस्कृत कृषि उपज के भंडारण और फसलोपरांत भंडारण के नुकसान को कम करने के लिए वैज्ञानिक भंडारण क्षमता में सुधार/निर्माण करने के उद्देश्य से समेकित कृषि विपणन योजना की कृषि विपणन अवसंरचना उप-योजना का कार्यान्वयन किया गया।

viii. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरूआत की गई है। राज्य सरकार 2 वर्षों की अवधि में देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रहे हैं जो किसानों को उनकी मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ फसलों की उत्पादकता और मृदा की उर्वरता में सुधार करने के लिए अनुप्रयोग होने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक के संबंध में सिफारिश भी करते हैं।

ix. अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अनुवीक्षण परियोजना का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने, जीओ-इंफ्रोमेटिक्स परियोजना का उपयोग करके बागवानी के आकलन और प्रबंधन से संबंधित समन्वित कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली, चावल-परती क्षेत्र के मानचित्रण (मैपिंग) व गहनता, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और फसल बीमा योजना के तहत निर्मित बुनियादी सुविधाओं और परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/क्षेत्रों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग।

x. फसल के वर्गीकरण और क्षेत्र के आकलन के लिए विभिन्न एल्गोरिथ्म सहित मशीन चलाने की प्रक्रिया का उपयोग करना। सरकार ने कृषक समुदाय के बीच प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए जिला स्तर पर 713 कृषि विज्ञान केंद्रों और 684 कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों की स्थापना की है। इसके अलावा, किसानों को सकेंद्रित प्रचार अभियानों, किसान कॉल सेंटरों, कृषि-क्लिनिक और उद्यमियों के लिए कृषि व्यवसाय केंद्रों, कृषि मेलों और प्रदर्शनियों, किसान एसएमएस पोर्टल, आदि के माध्यम से सूचना प्रदान की जाती है।

xi. कृषि यंत्रीकीकरण उप-मिशन के तहत वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान 49033 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया, 69053 प्रदर्शनों का संचालन किया गया और राजसहायता पर 1075194 मशीनें वितरित की गई हैं। किसानों के लिए किराये पर मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 8466 कस्टम हायरिंग केन्द्र, 223 हाई-टेक हब और 6841 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए

गए हैं। एक बहुभाषी मोबाइल ऐप "सीएचसी- फार्म मशीनरी" की शुरूआत की गई है जो किसानों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, निर्भरता और समय पर वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निष्पक्ष और पारदर्शी किराये की प्रक्रिया को शामिल करता है।

xii. वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान गुणवत्ताप्रद बीजों की उपलब्धता को 380.30 क्विंटल से बढ़ाकर 431.01 क्विंटल किया गया है। वर्ष 2014-2019 के दौरान जलवायु अनुकूल किस्मों सहित 1100 से अधिक नई बीज किस्मों को जारी और अधिसूचित किया गया है जिसमें से 35 किस्में जैविक रूप से सक्षम (बायो-फोर्टिफाईड) हैं।

*****